FAX

संख्या– 4260/1–10–2011–12(34)/2003(टी0सी0)

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः 17 नवम्बर, 2011

विषयः–वर्ष 2011–12 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्यों हेतु धनावंटन।

महोदय,

राजस्व अनुभाग–10 के शासनादेश संख्या–4024/1–10–210–14(63)/2010, दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 जो कि मुख्य सचिव के हस्ताक्षर के निर्गत हुआ है, के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम0एच0ए0 पत्र संख्या–32–34/2007–एन0डी0एम0आई0 दिनांक 24 जून, 2007 द्वारा जारी भारत सरकार की गाईड लाईन के आईटम 16 के प्रावधान "Provision for temporary Accomodation, Food, Clothing Medical care etc. of people affected" के अनुरूप गृहविहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु श्री राज्यपाल महोदय रू0 1,00,000/–(रूपये एक लाख मात्र) प्रति तहसील की दर से कुल धनराशि रू0 3,13,00,000/–(रूपये तीन करोड़ तेरह लाख मात्र) निम्नानुसार जनपदों को संबंधित जिलाधिकारी के निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मण्डल का नाम	जनपद का नाम	तहसीलों की संख्या	आवंटित धनराशि (रूपये में)
1 सहारनपुर	1 सहारनपुर	5	500000
	2 मुजफ्फरनगर	4	400000

	3. प्रबुद्धनगर	2	200000
2 मेरठ	4. मेरठ	3	300000
	5. पंचशीलनगर	3	300000
	6. गाजियाबाद	2	200000
	7. बुलंदशहर	7	700000
	8. गौतमबुद्धनगर	3	300000
	9. बागपत	3	300000
3 आगरा	10. आगरा	6	600000
	11. मथुरा	4	400000
	12. फिरोजाबाद	4	400000
	13 मैनपुरी	3	300000
4 अलीगढ़	14 अलीगढ़	5	500000
	15 एटा	3	300000
	16 कांशीरामनगर	3	300000
	17 महामायानगर	4	400000
5 बरेली	18 बरेली	6	600000
	19 बदायूँ	5	500000
	20 शाहजहांपुर	4	400000
	21 पीलीभीत	3	300000
6 मुरादाबाद	22 मुरादाबाद	4	400000

	23 रामपुर	6	600000
	24 बिजनौर	5	500000
	25 ज्योतिबाफूलेनगर	3	300000
	26 भीमनगर	3	300000
7 कानपुर	27 कानपुर नगर	3	300000
	28 कानपुर देहात	5	500000
	29 इटावा	5	500000
	30 फर्रूखाबाद	3	300000
	31 कन्नौज	3	300000
	32 औरैया	2	200000
8 इलाहाबाद	33 इलाहाबाद	8	800000
	34 फतेहपुर	3	300000
	35 प्रतापगढ़	5	500000
	36 कौशाम्बी	3	300000
9 झॉसी	37 झांसी	5	500000
	38 ललितपुर	3	300000
	39 जालौन	5	500000
10 चित्रकूटधाम	40 हमीरपुर	4	400000
	41 महोबा	3	300000
	42 बांदा	4	400000

	43 चित्रकूट	2	200000
11 वाराणसी	44 वाराणसी	2	200000
	45 जौनपुर	6	600000
	46 गाजीपुर	5	500000
	47 चन्दौली	3	300000
12 मिर्जापुर	48 मिर्जापुर	4	400000
	49 सोनभद्र	3	300000
	50 संतरविदासनगर	3	300000
13 आजमगढ़	51 आजमगढ़	7	700000
	52 मऊ	4	400000
	53 बलिया	6	600000
14 गोरखपुर	54 गोरखपुर	7	700000
	55 महाराजगंज	4	400000
	56 देवरिया	5	500000
	57 कुशीनगर	4	400000
15 बस्ती	58 बस्ती	4	400000
	59 सिद्धार्थनगर	5	500000
	60 संतकबीरनगर	3	300000
16 लखनऊ	61 लखनऊ	4	400000
	62 उन्नाव	5	500000

	63 रायबरेली	5	500000
	64 सीतापुर	6	600000
	65 हरदोई	5	500000
	66 खीरी	6	600000
	67 छत्रपति साहू जी महाराज नगर	5	500000
17 देवीपाटन	68 गोण्डा	4	400000
	69 बहराइच	4	400000
	70 बलरामपुर	3	300000
	71श्रावस्ती	2	200000
18 फैजाबाद	72 फैजाबाद	5	500000
	73 सुल्तानपुर	4	400000
	74 बाराबंकी	6	600000
	75 अम्बेडकरनगर	5	500000
	कुल योग	313	**31300000**

1— उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में प्रति तहसील निर्बल, निराश्रित, आश्रयहीन एवं असहाय व्यक्तियों को शीतलहर से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सी0आर0एफ0 गाइड लाइन के अनुरूप यथोचित कार्यवाही की जाय इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जा तथा यह भी सुनिश्चित किया जा कि अत्याधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा के आभाव में न हो।

2– व्यय हुई धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र प्रयुक्त स्थल, दिन की संख्या, क्रय की रसीद, कुल व्यय सहित पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय।

3– उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक '' 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03– आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय '' के नामे डाला जायेगा।

4– आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–जी0आई0–134/1–11–2007–46/96, दिनांक 31 जुलाई 2007 तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

5– उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2011–12 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीत लहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्यों पर ही व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

6– आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और व्यय हुई धनराशि का व्यय विवरण शासन को दिनांक 31.03.2012 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा लिया जाय। आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण राहत आयुक्त की वेबसाइट www.rahat.up.nic. in/rahat.2.html पर तत्काल फीड कराना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हो उन्हें दिनांक 31 मार्च 2012 से पूर्व शासन को अवश्य समर्पित कर दिया जाय।

7– आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

8– व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

3/11/2011

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या– 4260 /1–10–2011–12(34)/2003 टी0सी0 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

FAX

1– महोलखाकार(लेखा)/महालेखाकार(आडिट)प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद उ0प्र0।
5– वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
6– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

17/11/11

(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।